Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में विधुत विभाग का तकनीकी सहायक 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 सितम्बर*, बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर–प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अमरदीप, तकनीकी सहायक–तृतीय, फीडर सक्तपुरा, जीएसएस माणक, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला अलवर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिताजी के नाम के निवास पर लगे घरेलु कनेक्शन को अपने स्तर से परिवादी के मुर्गी फार्म पर शिप्ट करने व माह सितम्बर 2022 से मार्च 2023 तक अनावश्यक चैकिंग नही करवाकर वी.सी.आर नही भरवाने एवं उक्त कनेक्शन के माह अगस्त 2022 के विधुत उपभोग का माह सितम्बर मे गलत जारी किये गये बिल को सही करवाने व परिवादी के नाम से नये कनेक्शन को अविलम्ब चालु करवाने की एवज में अमरदीप, तकनीकी सहायक–तृतीय, फीडर सक्तपुरा, जीएसएस माणक, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला अलवर द्वारा **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि एवं उक्त राशि के अतिरिक्त विधुत बिल के 6500 रूपये विधुत विभाग में जमा करवाने हेतु अलग से मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी की अलवर–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचंद** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अमरदीप पुत्र श्री मोहर सिंह यादव, निवासी खौरी भुनगड़ा अहीर, तहसील मुण्डावर, पुलिस थाना शहांजहांपुर जिला अलवर हाल तकनीकी सहायक–तृतीय, फीडर सक्तपुरा, जीएसएस माणक, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला अलवर परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।